संख्या-80/2022/1288/सैंतीस-2-2022/002-1(2)/2020

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-29 जुलाई, 2022

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-निदेशालय के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-789/बजट/29(5)/30/13/2022-23, दिनांक-11.07.2022 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-39/2022/467/सैंतीस-2-2022-1(2)/2020, दिनांक-19.04.2022 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-निदेशालय के निम्नलिखित मानक मदों में कुल रू0-81083.63 लाख (रूपये आठ अरब दस करोड़ तिरासी लाख तिरसठ हजार मात्र) की धनराशि अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः-

मानक मद	**स्वीकृत धनराशि (लाख में)**
01-वेतन	56971.83
02-मजदूरी	40.00
03-मंहगाई भत्ता	21079.57
04-यात्रा व्यय	40.00
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	6.67
06-अन्य भत्ते	16.67
07-मानदेय	2.00
08-कार्यालय व्यय	6.96
09-विद्युत देय	400.00
10-जलकर/जलप्रभार	200.00
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	4.10
12-कार्यालय, फर्नीचर एवं उपकरण	4.43
13-टेलीफोन पर व्यय	10.20
15-गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	80.00
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1.33
17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	50.00
18-प्रकाशन	0.33
19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	0.33
21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	0.67
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	4.00
29-अनुरक्षण	14.67

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

39-औषधि तथा रसायन	166.67
40-औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा	4.00
42-अन्य व्यय (मतदेय)	66.67
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	266.67
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1.00
45-अवकाश यात्रा व्यय	1.33
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफटवेयर का क्रय	30.33
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	5.33
49-चिकित्सा व्यय	273.33
51-वर्दी व्यय	0.68
55-मकान किराया भत्ता	1324.53
58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	9.33
योग-	**81083.63**

(रूपये आठ अरब दस करोड़ तिरासी लाख तिरसठ हजार मात्र)

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उसी मद/प्रयोजन में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि वस्तुतः स्वीकृत की जा रही है।
3. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग योजनान्तर्गत धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त प्रयोजन हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी बैंक/डाकघर में नहीं जमा किया जायेगा।
5. योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 एवं विभागीय क्रय नीति (जेम) का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
6. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग द्वारा संभावित व्यय को एक मुश्त आहरित न करके फेजिंग के अनुसार किया जाये।
7. मानक मद 29-अनुरक्षण में स्वीकृत धनराशि का आहरण करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक-26 अगस्त, 2014 के प्राविधानों के अनुसार कार्यदायी संस्था से प्राप्त आगणन का मूल्यांकन एवं परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत करा ली जायेगी।
8. विभागाध्यक्षों एवं अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।
9. यदि आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित किया जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय।
10. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

11. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07.06.2022 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2403000010300 (निदेशालय)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	015	2403000010300 निदेशालय	01 वेतन	5,69,71,83,000 (रुपये पांच अरब उनहत्तर करोड़ इकहत्तर लाख तिरासी हजार मात्र)
2	015	2403000010300 निदेशालय	02 मजदूरी	40,00,000 (रुपये चालीस लाख मात्र)
3	015	2403000010300 निदेशालय	03 मंहगाई भत्ता	2,10,79,57,000 (रुपये दो अरब दस करोड़ उनासी लाख सत्तावन हजार मात्र)
4	015	2403000010300 निदेशालय	04 यात्रा व्यय	40,00,000 (रुपये चालीस लाख मात्र)
5	015	2403000010300 निदेशालय	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	6,67,000 (रुपये छह लाख सड़सठ हजार मात्र)
6	015	2403000010300 निदेशालय	06 अन्य भत्ते	16,67,000 (रुपये सोलह लाख सड़सठ हजार मात्र)
7	015	2403000010300 निदेशालय	07 मानदेय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
8	015	2403000010300 निदेशालय	08 कार्यालय व्यय	6,96,000 (रुपये छह लाख छियानबे हजार मात्र)
9	015	2403000010300 निदेशालय	09 विद्युत देय	4,00,00,000 (रुपये चार करोड़ मात्र)
10	015	2403000010300 निदेशालय	10 जलकर / जल प्रभार	2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र)
11	015	2403000010300 निदेशालय	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	4,10,000 (रुपये चार लाख दस हजार मात्र)
12	015	2403000010300 निदेशालय	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	4,43,000 (रुपये चार लाख तैंतालीस हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

13	015	2403000010300 निदेशालय	13 टेलीफोन पर व्यय	10,20,000 (रुपये दस लाख बीस हजार मात्र)
14	015	2403000010300 निदेशालय	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	80,00,000 (रुपये अस्सी लाख मात्र)
15	015	2403000010300 निदेशालय	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1,33,000 (रुपये एक लाख तैंतीस हजार मात्र)
16	015	2403000010300 निदेशालय	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
17	015	2403000010300 निदेशालय	18 प्रकाशन	33,000 (रुपये तैंतीस हजार मात्र)
18	015	2403000010300 निदेशालय	19 विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	33,000 (रुपये तैंतीस हजार मात्र)
19	015	2403000010300 निदेशालय	21 छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	67,000 (रुपये सड़सठ हजार मात्र)
20	015	2403000010300 निदेशालय	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
21	015	2403000010300 निदेशालय	29 अनुरक्षण	14,67,000 (रुपये चौदह लाख सड़सठ हजार मात्र)
22	015	2403000010300 निदेशालय	39 औषधि तथा रसायन	1,66,67,000 (रुपये एक करोड़ छियासठ लाख सड़सठ हजार मात्र)
23	015	2403000010300 निदेशालय	40 औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
24	015	2403000010300 निदेशालय	42 अन्य व्यय	66,67,000 (रुपये छियासठ लाख सड़सठ हजार मात्र)
25	015	2403000010300 निदेशालय	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	2,66,67,000 (रुपये दो करोड़ छियासठ लाख सड़सठ हजार मात्र)
26	015	2403000010300 निदेशालय	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
27	015	2403000010300 निदेशालय	45 अवकाश यात्रा व्यय	1,33,000 (रुपये एक लाख तैंतीस हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

28	015	2403000010300 निदेशालय	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	30,33,000 (रुपये तीस लाख तैंतीस हजार मात्र)
29	015	2403000010300 निदेशालय	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	5,33,000 (रुपये पांच लाख तैंतीस हजार मात्र)
30	015	2403000010300 निदेशालय	49 चिकित्सा व्यय	2,73,33,000 (रुपये दो करोड़ तिहत्तर लाख तैंतीस हजार मात्र)
31	015	2403000010300 निदेशालय	51 वर्दी व्यय	68,000 (रुपये अड़सठ हजार मात्र)
32	015	2403000010300 निदेशालय	55 मकान किराया भत्ता	13,24,53,000 (रुपये तेरह करोड़ चौबीस लाख तिरपन हजार मात्र)
33	015	2403000010300 निदेशालय	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	9,33,000 (रुपये नौ लाख तैंतीस हजार मात्र)
	कुल			**8,10,83,63,000 (रुपये आठ अरब दस करोड़ तिरासी लाख त्रेसठ हजार मात्र)**
महायोग				8,10,83,63,000 (रुपये आठ अरब दस करोड़ तिरासी लाख त्रेसठ हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07 जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

पृ0सं0-80/2022/1288(1)/सैंतीस-2-2022/002-1(2)/2020 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी एवं संबंधित जिलाधिकारी।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
5. उप निदेशक (प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग, महानगर, लखनऊ/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।